राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जोधा बनाम प्रेम देवी 61/2021, 198/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 106/2019, 07/2020 में पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 198/2020 एवं 61/2021 मे समान पक्षकारान एवं समान प्रशनगत भूमि से इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 11/05/2026 को पेश हो।	
11/05/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि जोधा देवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया एवं दूसरा वाद विधा देवी ने तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जोधा देवी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 07/2020 में आदेशिका दिनांक 03/03/2020 पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अन्य वाद संख्या 106/2019 उनवानी विधा पुनिया बनाम प्रेम देवी के साथ कन्सोलिडेट कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर जोधा देवी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील संख्या 61/2021 उनवानी जोधा बनाम प्रेम देवी प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की। विधा पुनिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 106/2019 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03/03/2020 पारित करते हुये ग्राम सिवार तहसील जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 910 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा में उभयपक्षों की मौजूदगी में बाई किट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर निर्णय व डिक्री दिनांक 03/03/2020 के विरुद्ध अपील संख्या 198/2020 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस तीनो पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। चूँकि दोनों अपीले समान पक्षकार, समान प्रक्रति एवं समान अनुतोष के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जोधा बनाम प्रेम देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
61/2021, 198/2020	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का मय अपीलाधीन आदेश एवं निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित कार्यवाही करते हुये सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय/डिक्री पारित किये गये है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे विधिक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर उद्धरित तथ्यों को विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करते किन्तु ऐसा नही कर विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनदेखी कर सरसरी तौर पर दोनों अपीलों के अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना प्रकट होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 106/2019 एवं 07/2020 में पारित दोनों अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03/03/2020 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ की पालना करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार दोनों अपीले क्रमश: 198/2020 व 61/2021 स्वीकार की जाती है। पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	